1218

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0. एल0ए0/एस0एस0–1/श0स्था0नि0/ 1441 8/1785 **दिनांकः–** 27/06/14

सेवा में,

सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना

01 JUL 2014

महाशय,

नगर निगम, बिहारशरीफ के वर्ष 2012–13 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 597/13–14 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर निगम बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखा परीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखापरीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

gen. 4291(9)
4.7.14.

भवदीय,

27/6/14
वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
शहरी स्थानीय निकाय
सामाजिक प्रक्षेत्र–I
बिहार, पटना

94
08/7/14

नगर निगम, बिहार शरीफ
निरीक्षण प्रतिवेदन सं.–597/13–14
अवधि 2012–13

1. प्रस्तावना

नगर निगम, बिहारशरीफ(नालंदा) के लेखापरीक्षा अवधि 2012–13 के लेखाओं की नमूना लेखा परीक्षा, महालेखाकार(लेखापरीक्षा), बिहार, पटना के स्थानीय लेखापरीक्षा, बिहार के लेखापरीक्षा कार्यालय दल द्वारा दिनांक 15.04.13 से 11.05.13 की अवधि में किया गया।

2. प्रशासन

क्र0सं0	नाम एवं पद	अवधि
1	श्री दिनेश कुमार, महापौर	01.04.12 से 08.06.12
2	श्री सुधीर कुमार, महापौर	09.06.12 से 31.03.13
3	श्री नदीम जफर, उपमहापौर	01.04.12 से 08.06.12
4	श्री शंकर कुमार, उपमहापौर	09.06.12 से 31.03.13
5	श्री कुमार व्यास सिंह कश्यप, नगर आयुक्त, नगर निगम	01.04.12 से 31.03.13

3. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र

लेखापरीक्षा में उपलब्ध एवं नमूना लेखापरीक्षा की गयी अभिलेखों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में तथा अनुपलब्ध/असंधारित अभिलेखों की सूची परिशिष्ट–II की गयी है।

4. पूर्ववर्ती लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की स्थिति निम्नलिखित है:–

क्र0सं0	अंकेक्षण प्रतिवेदन सं0	अवधि	लंबित कंडिकाओं की सं0
1	37/1990–91	1987–88	42
2	65/1991–92	1988–89	30
3	126/1994–95	1989–93	49
4	145/2000–01	1995–99	51
5	135/2000–01	1999–01	49
6	128/2004–05	2001–04	36
7	484/2007–08	2004–07	43
8	216/2008–09	2007–08	66

9	151/2010–11	2009–10	38
10	436/2011–12	2010–11	29
11	454/2012–13	2011–12	23

स्थानीय निकाय द्वारा कंडिकाओं का निस्तारण हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। अनुपालन प्रतिवेदन नहीं होने से लेखा परीक्षा का उद्देश्य विफल हो जाता है। नगर निगम के पदाधिकारियों से अनुरोध है कि लेखा परीक्षा में सन्निहित सभी लंबित कंडिकाओं का अनुपलान सुनिश्चित कराने हेतु अविलंब कार्यवाई कर अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर निष्पादन हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा, बिहार, पटना कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

5. आंतरिक अंकेक्षण

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के नियम 97 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम 1928 (नियम 20,64 एवं 73(क)) में ऐसे जाँच की व्यवस्था की गयी है जिससे नगरपालिका लेखाओं के संधारण एवं समन्वय पर पूर्ण नियंत्रण रखा जा सके।

नगर निगम, बिहार शरीफ के अभिलेखों के जाँच के क्रम में पाया गया कि उक्त जाँच प्रक्रिया का कार्यान्वयन नगर निगम प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा था, फलस्वरूप अनेक त्रुटियाँ एवं अनियमितताएँ हुयी जिसका विश्लेषण आगे की कंडिकाओं में किया गया है। अतः भविष्य में नियमित अंतराल पर आंतरिक अंकेक्षण की व्यवस्था की जाय ताकि अनियमितताओं व त्रुटियों की पुनरावृत्ति न हो।

6. अधिदृश्य (पी0एल0 रोकड़बही)

नगर निगम बिहार शरीफ मुख्यतः राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान एवं निजी श्रोतों से प्राप्त आय द्वारा वित्त संपोषित थी। अंकेक्षण 2012–13 की संक्षिप्त प्राप्तियाँ एवं व्ययों का सार निम्नवत् है:–

क्र0सं0	विवरण	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	161240047.00
2	प्राप्तियाँ	
	(i) पथ	8997329.00
	(ii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	63211889.00
	(iii) प्र0 भवन जिर्णोद्धार	675000.00
	(iv) स्टाम्प डयूटी	24302670.00
	(v) 13 वीं वित्त आयोग	22453000.00
	(vi) नगर प्रबंधक मानदेय	240000.00
	(vii) पशुगणना	35200.00
	(viii) टयूबेल(S.C)	5454460.00
	(ix) जलापूर्ति(भंखूर नगर)	7793200.00

	(x) सामाजिक सुरक्षा	42051100.00
	(xi) निजी स्रोतों से आय	21544895.00
3	वर्ष की प्राप्ति(I से xi)	196758743.00
4	कुल प्राप्ति(1+3)	357998790.00
5	व्यय	
	(i) पथ	6078932.00
	(ii) नाला	590041.00
	(iii) चतुर्थ राज्य वित्त आयोग	45280561.00
	(iv) स्टाम्प डयूटी	9638051.00
	(v) पार्षद भत्ता	183783.00
	(vi) स्टाम्प ड्यूटी	13588120.00
	(vii) 13 वीं वित्त आयोग	16081398.00
	(viii) नगर प्रबंधक मानदेय	140000.00
	(ix) जनगणना	1910600.00
	(x) सेवांत लाभ	1606812.00
	(xi) 12 वीं वित्त आयोग	524709.00
	(xii) पशुगणना	35147.00
	(xiii) नागरिक सुविधा	2618715.00
	(xiv) टयूबेल(S.C)	421248.00
	(xv) सामाजिक सुरक्षा	33445585.00
	(xvi) आंतरिक स्रोत	12010015.00
6	कुल व्यय (i से xvi)	144153717.00
7	अंतशेष(4–6)	213845073.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) रोकड़बही में प्राप्त अनुदान से संबंधित ब्यौरा सरकारी पत्रांक सं0/दिनांक दर्ज नहीं था।

(ii) रोकड़ बही में जमा राशि के लिए चालान सं0 अंकित नहीं पाया गया।

(iii) वित्तीय वर्ष 2012–13 में(अप्रैल 2013) मतगणना मद में मात्र ₹1483950.00 राशि भी परंतु उक्त मद अप्रैल 2012 में ₹1910600.00 का व्यय मतगणना मद में किया गया। मौखिक रूप से बताया गया कि नगर निगम द्वारा शेष राशि ₹426650.00 का व्यय निजी स्रोत से किया गया। ₹426650.00 की प्रतिपूर्ति हेतु उठाए गए कदमों से अंकेक्षण को अवगत नहीं कराया गया।

(iv) कोषागार खाता अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया।

7. आय–व्यय विवरणी

पी0एल0 रोकड़ बही के अतिरिक्त संधारित अन्य रोकड़बही की स्थिति निम्न है:–

(क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि

क्र0सं0	मद	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	2011948.00
2	प्राप्ति	
	(i) अनुदान फरवरी 2012 को प्राप्त अनुदान राशि को नाला निर्माण रोकड़ बही से अप्रैल 2012 में स्थानांतरण	10508913.00
	(ii) अग्रिम वापसी	508338.00
	(iii) ब्याज	323540.00
3	जोड़ वर्ष की प्राप्ति((i)+(ii)+(iii))	11340791.00
4	कुल प्राप्ति(1+3)	14012739.00
5	व्यय(योजना)	10896387.00
6	अंतशेष	3116352.00
	बैंक पासबुक(सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया) बिहार शरीफ के अनुसार अंतशेष 31.03.13 को Ac/no. 3068849841	3126315.00
	बैंक पास बुक एवं रोकड़ बही के अंतशेष का अंतर	9963.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) बैंक पास बुक एवं रोकड़बही के अंतशेष के अंतर राशि ₹9963.00 का समाधान विवरणी तैयार कर अगले अंकेक्षण में दिखाया जाय।

(ii) दिनांक 25.02.2012 को उप विकास आयुक्त द्वारा BRGF मद में ₹10508913.00 की प्राप्ति हुई जिसे नाला एवं पथ निर्माण रोकड़ बही में रखा गया तथा उक्त राशि 27.04.2012 को BRGF मद में स्थानांतरित किया गया। इस प्रवृति को रोका जाय।

(ख) राष्ट्रीय गंदी बस्ती विकास योजना(NSDP)

क्र0सं0	मद	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	1228387.00
2	प्राप्ति(ब्याज)	88731.00
3	कुल प्राप्ति(1+2)	1317118.00
4	व्यय	0
5	अंतशेष	1317118.00
	बैंक पासबुक(यूनाइटेड बैंक ऑफ इण्डिया) Ac/no. 834010100 के अनुसार 31.12.12 का अंतशेष	1317118.00

अंकेक्षण टिप्पणी

(i) दिनांक 31.12.12 के बाद रोकड़ बही संधारित नहीं पाया गया।

(ii) दिनांक 28.03.2011 के बाद NSDP मद में किसी प्रकार का व्यय नहीं किया गया। राशि को उपयोग कर लगभग 50 साल से अवरूद्ध रखने का कारण स्पष्ट करें। अगर राशि के व्यय की संभावना नहीं है तो संस्वीकृत प्राधिकारी को वापस कर दिया जाय।

(ग) स्वर्ण जयंती शहरी स्वरोजगार योजना(SJSRY)

क्र0सं0	मद	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	4752841.00
2	प्राप्ति (i) अनुदान	10000000.00
	(ii) ब्याज	275453.00
3	वर्ष की प्राप्ति((i) +(ii))	10275453.00
		15028294.00
4	कुल प्राप्ति (1+3)	4952167.00
5	व्यय (i) योजना	100.00
6	(ii) बैंक कमीशन	4952267.00
7	अंतशेष(4–6)	10076027.00
	बैंक पासबुक के अनुसार अंतशेष बैंक ऑफ इण्डिया (480110100010613)	10076027.00

(घ) नाली एवं पथ निर्माण

क्र0सं0	मद	2012–13
1	प्रारंभिक शेष	22263727.00
2	प्राप्ति	
	(i) अग्रिम वापसी	104385.00
	(ii) ब्याज	553709.00
	(iii)BOQ	186500.00
	(iv) BRGF मद से प्राप्त	6850007.00
3	वर्ष की प्राप्ति((i) से (iv) का योग)	7694601.00
4	कुल प्राप्ति(1+3)	29958328.00
5	व्यय (i) योजना	4323748.00
	(ii) BRGF मद में स्थानांतरित	10508913.00
	(iii) बैंक कमीशन	957.00
6	कुल व्यय((i) +(ii)+(iii))	14833618.00
7	अंतशेष(4–6)	15124710.00
	बैंक पासबुक अंतशेष सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया (1884265850)	15124710.00

अंकेक्षण टिप्पणी

ऐसा पाया गया कि BRGF मद में प्राप्त अनुदान राशि को प्राप्ति के रूप में पहले नाला एवं पथ निर्माण से संबंधित रोकड़ बही एवं संबंधित बैंक खातें में जमा किया गया। तत्पश्चात् पुनः उक्त आवंटित

राशि को BRGF रोकड़बही/बैंक पासबुक में स्थानांतरित किया गया। किन कारणों से रोका गया, यह लेखापरीक्षा के दौरान स्पष्ट नहीं किया गया। अतः BRGF मद की राशि ₹6850007.00 को अंकेक्षण अवधि तक पि0क्षे0अ0नि0 मद में वापस स्थानांतरित नहीं किया गया। ऐसी परिस्थिति में उक्त राशि के विचलन इत्यादि की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। अतः राशि 6850007.00 को यथाशीघ्र पि0क्षे0अ0नि0 मद में कृत्य की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाये।

8. रोकड़ बही संधारित नहीं/अद्यतन नहीं

नगर निगम, बिहार शरीफ के रोकड़ बहियों के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि कुछ रोकड़ बहियों को विगत कई वर्षों से अद्यतन/संधारित नहीं किया गया था। विवरण निम्न है:-

क्र0सं0	मद	रोकड़ बही अंतशेष राशि	बैंक पासबुक राशि/तिथि	बैंक का नाम
1	सांसद मद	1493150.00(अगस्त 10 से)	153986.00 31.03.13	केनरा बैंक, बिहार शरीफ 0140111011362
2	N.S.D.P(II)	128674.00(05.07.11)	146144.00 9.03.13	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ,बि0श0 1485608815
3	नगर परिषद् आधारभूत संरचना	438640.00(जुलाई 2011)	465035.00 9.03.13	-तथैव- 1485634039
4	दशम वित्त	633170.00(जून 2011)	672034.00 9.03.13	-तथैव- 1485606931
5	स्ववित्त पार्षद	394977.00(01.08.2010)	440524.00 9.03.13	-तथैव- 1485605257
	कुल योग	3088611.00	3254523.00	

अंकेक्षण टिप्पणी

विवरणी से स्पष्ट है कि संधारित रोकड़ बहियों को कई वर्षों से अद्यतन नहीं किया गया था तथा बैंक पासबुक के अनुसार कुल ₹3254523.00 की राशि अवरूद्ध पड़ी हुई थी। रोकड़ बही एवं बैंक पासबुक अद्यतन/संधारित किया जाय। अगर उपरोक्त राशि के व्यय की संभावना नहीं हो तो संस्वीकृत प्राधिकारी को राशि वापस कर दिया जाय।

9. सरकारी अनुदान

सरकारी अनुदान पंजी नियमानुकूल संधारित नहीं किया गया था। उक्त पंजी में स्वीकृतीयादेश पत्र सं0, संदर्भित अनुदान के विरूद्ध व्यय/उपयोग की गयी राशि की प्रविष्टि वर्ष का आरंभ एवं अंत में अव्यवहृत अनुदान की राशि आदि की प्रविष्टि नहीं थी। फलस्वरूप वर्ष 2012-13 हेतु वर्ष के प्रारंभ में अव्यवहृत अनुदान राशि, वर्ष के दौरान प्राप्ति एवं उपयोग की स्थिति तथा वर्ष के अंत में बही अव्यवहृत अनुदान राशि ज्ञात नहीं की जा सकी।

यद्यपि वर्ष 2012–13 में P.L रोकड़ बही 15वें अन्य सहायक रोकड़ बही के अनुसार कुल ₹192060655.00 का सरकारी अनुदान नगर निगम बिहार शरीफ को प्राप्त हुआ।

(विवरणी परिशिष्ट–III पर उपस्थापित)

सरकारी अनुदान पंजी का नियमानुकूल संधारण कर अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाय।

10. चतुर्थ राज्य वित्त आयोग–उपयोगिता

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2012–13 में कुल ₹632.12 लाख (पत्रांक सं0 67 एवं 68 दिनांक 04.03.2013) प्राप्त हुआ तथा पूर्व से इस मद में ₹535.88 लाख प्रारंभिक शेष थे(रोकड़ बही के अनुसार)

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग अंतर्गत विभिन्न मदों वेतन/पेंशन, विधुत विपत्र, विकास आदि पर व्यय किया जाना है। उपरोक्त कुल उपलब्ध राशि ₹1168.00 लाख में से ₹431.78 लाख ही व्यय हुआ था।

किन मदों पर कितना व्यय किया गया अनुदान पंजी नहीं रहने के कारण स्पष्ट नहीं हो पाया। मदकर प्राप्ति एवं व्यय का ब्यौरा/उपयोगिता प्रमाण पत्र आदि लेखापरीक्षा में माँगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः यह सुनिश्चित नहीं किया गया जा सका कि प्राप्त अनुदान का उपयोग स्वीकृत्यादेशानुसार शर्तों एवं नियम तथा उन्हीं उद्देश्यों के लिए किया गया है जिनके लिए राशि की प्राप्ति हुयी है।

11. तेरहवीं वित्त आयोग उपयोगिता प्रमाण पत्र

तेरहवें वित्त आयोग अंतर्गत वर्ष 2012–13 में कुल ₹224.53 लाख प्राप्त हुए वर्ष के प्रारंभ में शेष राशि ₹252.02 लाख था। इस प्रकार 2012–13 में कुल ₹476.55 लाख उपलबध थे।

तेरहवें वित्त आयोग के निर्देशानुसार प्राप्त राशि में से (i) कम से कम 50% ठोस अवशिष्ट प्रबंधन पर (ii) पाईप जलापूर्ति व्यवस्था, रखरखाव सहित (iii) सड़कों में प्रकाश व्यवस्था तथा पेयजल पर उपयोग किए बिजली बिल के भुगतान तथा (iv) रैन बसेरा/ओल्ड एज होम का निर्माण एवं रख रखाव मद पर व्यय किया जाना है।

नगर निगम द्वारा मदवार, वार्षिक मद व्यय विवरणी का संधारण नहीं किया गया था, न ही सरकार को भेजी गयी उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया गया।

यद्यपि रोकड़ बही के अनुसार वर्ष 2012–13 में 178.58 लाख का व्यय हुआ।

(विवरणी परिशिष्ट– iv पर उपस्थापित)

लेखापरीक्षा टिप्पणी

(i) व्यय विवरणी के अनुसार 60000.00 होली के अवसर पर अनुबंधित कर्मियों को अग्रिम दिया गया। किस प्रावधान के तहत उक्त अ ग्रिम दिया गया। यह स्पष्ट नहीं किया गया। इस संबंध में संतोषप्रद जबाव मिलने तक/अग्रिम की वसूली होने/प्रतिपूर्ति होने तक राशि 60000.00 अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

(ii) इंधन आपूर्ति एवं चालक मद में कुल 35.25 लाख का व्यय किया गया। अधिकांशतः व्यय इंधन आपूर्ति/सफाई हेतु दैनिक मजदूरों को भुगतान/वाहन मरम्मति आदि पर पाया गया। मौखिक रूप से बताया गया कि सभी व्यय ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के अंतर्गत किया गया।

विदित है कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत अपशिष्टों का संग्रहण, पृथ्कीकरण और परिवहन आदि विविध कार्य हैं। जबकि यह पाया गया कि ठोस अवशिष्ट प्रबंधन के अतर्गत व्यय मात्र इंधन आपूर्ति समय कब दैनिक मजदूरों को सफाई आदि पर की गयी।

सरकार के निर्देशानुसार ठोस अवशिष्ट प्रबंधन अंतर्गत क्या कार्रवाई की जा रही है यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

इस संदर्भ में स्थिति स्पष्ट होने तक/संतोषप्रद जबाव मिलने तक व्यय राशि 35.25 लाख अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

12. अवरूद्ध अनुदान(प्रशासनिक भवन निर्माण 25.00 लाख)

वर्ष 2008–09 में पत्रांक सं. 2317 दिनांक 05.06.2008 (जनवरी 2008 में रोकड़ बही में प्रविष्ट चालान सं.– 3708/16.10.2008) के द्वारा नगर निगम, बिहारशरीफ को प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु ₹25.00 लाख प्राप्त हुआ था।

लेखापरीक्षा में उपलब्ध करायी गयी संचिका के अनुसार 03.03.13 को पत्रांक 570/09.03.13 के द्वारा नगर निगम परिसर स्थित पुराने मुख्य प्रशासनिक भवन को तोड़कर नया प्रशासनिक भवन के निर्माण के लिए 54.15 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति हेतु अधीक्षण अभियन्ता, बिहार शहरी विकास अभिकरण, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार को भेजा गया था।

कार्यालय पत्रांक 853 दिनांक 30.03.13 के द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, बिहार, पटना के उपरोक्त योजना हेतु निविदा आमंत्रण सूचना प्रकाशन के आग्रह किया गया जो दिनांक 08.04.13 को हिन्दुस्तान अखबार में प्रकाशित किया गया।

पुनः उक्त निविदा की तकनीकी स्वीकृति निविदा के समय तक अप्राप्त रहने के कारण दिनांक 13.04. 2013 को निविदा स्थगित कर दी गयी।

अंकेक्षण टिप्पणी–

(i) बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए निविदा की तिथि तय तथा उसे समाचार पत्र में नगर निगम द्वारा बताया गया कि संभावना थी कि तय तिथि तक प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रत्याशा में निविदा की तिथि तय कर निविदा प्रकाशित की गयी। जबाव संतोषप्रद नहीं था।

(ii) वर्ष 2008–09 से लगभग 4 साल बीत जाने के बावजूद राशि को उपयोग हेतु की गई प्रयास (यदि है) अथवा राशि उपयोग नहीं किए जाने की स्थिति के कारण से लेखापरीक्षा को स्पष्ट नहीं किया गया।

जबाव में बताया गया कि भवन निर्माण मद में प्राप्त राशि 2500000.00 वास्तविक आवश्यकता कम थी प्राप्त 25% ही थी, जिसके कारण कार्य आरंभ नहीं किया । पुराना भवन खपड़ैल है, जिससे कार्य चल रहा है जिसे तोड़ दिया जाता तो प्राप्त राशि में काम पूरा नहीं होता, कार्यालय कार्य भी बाधित होता। इसी कारण निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सका।

(iii) विशिष्ट उद्देश्य हेतु प्राप्त राशि का उपयोग नहीं करने के कारण प्राप्त अनुदान अवरूद्ध रहा अतः सरकार का अनुदान देने का उद्देश्य विफल हो गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। साथ ही साथ राशि का उपयोग कर सरकार को अतिशीघ्र उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजा जाय।

13. बजट

बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 के धारा 82 से 85 के अनुसार नगर निकाय हेतु आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन बोर्ड से फरवरी के 15वीं तारीख या उसके बाद यथासंभव प्रस्तुत करेगा, सशक्त स्थायी समिति द्वारा धारा 83(1) के अंतर्गत प्रावधानुसार रिपोर्ट समीक्षा कर बोर्ड में प्रस्तुत करेगा। म्यूनिसिपल बोर्ड द्वारा 15 मई तक उक्त बजट प्राक्कलन को अंगीकार करेगा तथा राज्य सरकार को भेजेगा।

नगर निगम, बिहारशरीफ द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु बजट के प्राक्कलन से संबद्ध संचिका लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं कराया गया। फलस्वरूप बजट प्राक्कलन हेतु निर्धारित तिथि की समीक्षा नहीं की जा सकी। साथ ही बजट प्राक्कलन बोर्ड द्वारा किसी तिथि को पारित हुआ तथा इसे राज्य सरकार भेजा गया कि नहीं यह स्पष्ट नहीं हो सका।

यद्यपि लेखापाल द्वारा दिनांक 29.03.2012 हो हस्ताक्षरित वर्ष 2012–13 का बजट प्राक्कलन की छायाप्रति लेखापरीक्षा में प्रस्तुत की जाए। वार्षिक लेखा तैयार नहीं किए जाने के कारण मदवार बजटीय आय– व्यय आकलन का वास्तविक आय– व्यय से तुलना नहीं किया जा सका।

उपलब्ध बजट प्राक्कलन एवं लेखापाल रोकड़बही के अनुसार 2012–13 हेतु विवरणी निम्न हैं–

	बजट(करोड़ में)	वास्तविक	अन्तर	अन्तर % में
आय	62.88	21.81	41.07	65.31% कम
व्यय	62.50	16.00	46.50	74.40% कम

उपरोक्त तालिका स्पष्ट करता है कि आय/व्यय बजटीय आय/व्यय से काफी दूर था। इसकी वास्तविक आय एवं व्यय बजटीय आय एवं व्यय से कमशः 65.13% एवं 74.40% कम थी। जो स्पष्ट करता है कि बजटीय आकलन वास्तविक से परे था।

उपरोक्त बिन्दुओं पर स्थिति स्पष्ट की जाय।

14. रोकड़पाल द्वारा वसूली गयी राशि का देरी से जमा किया जाना तथा राशि का हाथ में रखा जाना

रोकड़पाल रोकड़ बही के अवलोकन के कम में पता चला कि रोकड़पाल द्वारा विभिन्न विविध रसीदों के माध्यम से प्राप्त नगर (स्वयं के द्वारा वसूली तथा वसूलीकर्त्ता से प्राप्त राशि) के नियमानुसार ससमय निगम कोष में जमा न कर अपने हाथ में रखा गया था, जो कि परिशिष्ट– v पर उपस्थापित विवरणी से स्पष्ट है।

उक्त विवरणी, रोकड़पाल रोकड़ बही के आधार पर दिनांक 29.12.12 से 04.05.13 के लिए उदाहरण स्वरूप बनाया गया था जिसके अनुसार, रोकड़पाल द्वारा प्राप्त संपूर्ण वसूली राशि को जमा न कर आंशिक राशि (पूर्व तिथि तक का) जमा किया जाता था तथा शेष राशि अपने हाथ में रखा जाता था, पुनः पूर्व की हाथ की राशि तथा वर्त्तमान की वसूली राशि में से कुछ (आंशिक) जमा किया जाता या तथा बाकी अपने हाथ में रखा जाता था। विवरणी के अनुसार इस प्रकार रोकड़पाल के पास 04.05.13 को (दि. 30.03.13 से 04.05.2013) कुल राशि 1359932.69 थी। विवरण निम्नलिखित है–

क्र.सं.	विविध रसीद सं.	राशि(₹)
1	7390 से 7399 30.03.13	108017.80
2	7420 से 7443 01.04.13 से 03.04.13	3878.00

1213

3	7446 से 7555 04.04.13 से 15.04.13	25716.00
4	7359 से 7586 16.04.13 से 18.04.13	170238.68
5	7586 18.04.13	150.00
6	7589 से 7711 18.04.13 से 02.05.13	813550.21
7	7713 से 7755 02.05.13 से 04.05.13	238382.00
	कुल योग	1359932.69

रोकड़पाल द्वारा प्राप्त राशि जमा नहीं

विविध रसीद एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के जॉच के कम में पाया गया कि विभिन्न विविध रसीदों से मार्च 2013 में कुल 1289752.00 की प्राप्ति रोकड़पाल द्वारा की गयी परन्तु उक्त राशि को कोषागार में जमा नहीं किया गया था। अंकेक्षण में मौखिक रूप से बताए जाने पर उक्त राशि को कोषागार में जमा कर दिया गया। विवरणी निम्नवत है–

क्र.सं.	विविध रसीद सं.	वसूली अवधि	राशि(₹)
1	7287 से 7346	25.03.13 से 30.03.13	622314.00
2	7347 से 7364	30.03.13	343367.00
3	7365 से 7371	30.03.13	324074
	कुल योग		1289755.00

इस प्रकार रोकड़पाल के पास कुल 2649687.69 प्राप्त राशि को नगर निगम कोष में जमा नहीं किया गया था जिसे अंकेक्षण के दौरान जमा कर दिया गया। कोषागार में जमा राशि की विवरणी निम्नवत है–

क्र.सं.	कोषागार चालन सं./तिथि	राशि(₹)
1.	104/08.04.13	622314.00
2	47/25.04.13	343367.00
3	98/26.04.13	324074.00
4	164/07.05.13	108015.00
5	163/07.05.13	1251915.00
		2649688.00

किन परिस्थिति में वसूली की गई राशि को ससमय नियमानुसार निगम कोष में जमा नहीं किया जा रहा था, यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया। उपरोक्त चली आ रही प्रचलन का किन्हीं भी वरीय

अधिकारी (लेखापाल, नगर आयुक्त इत्यादि) द्वारा रोक लगाने हेतु कोई ठोस प्रयास नहीं किया गया था।

नगर आयुक्त/सक्षम अधिकारी/प्राधिकारी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है, इस तरह की हो रहीं प्रचलन जो कि गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है, पर अविलंब रोक लगायी जाय।

15. कम जमा (विविध रसीद)

विविध रसीद एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के अवलोकन के क्रम में पाया गया कि विभिन्न रसीदों से प्राप्त राशि एवं रोकड़ बही में दर्ज/जमा राशि में अन्तर पाया गया। रोकड़ बही में 876.00 कम जमा किया गया। विवरण निम्नवत है–

क्र.सं.	रसीद सं.	दिनांक	रसीद की राशि	रोकड़ बही में दर्ज राशि	कम जमा
1	4035	13.04.12	374.00	314.00	60.00
2	4167	16.04.12	65.00	55.00	10.00
3	4262	17.04.12	46.00	40.00	6.00
4	5643	12.10.12	290.00	150.00	140.00
5	5961	06.12.12	290.00	150.00	140.00
6	6458	17.01.13	347.00	337.00	10.00
7	6688	05.02.13	330.00	320.00	10.00
8	7024	05.03.13	290.00	150.00	140.00
9	7208	18.03.13	197.00	107.00	90.00
10	7556	20.04.13	120.00	0	120.00
11	7585	18.04.13	150.00	0	150.00
			2499.00	1623.00	876.00

उक्त राशि 876.00 से विविध रसीद सं. 07798 दिनांक 10.05.13 द्वारा जमा कर दिया गया तथा बताया गया कि राशि शीघ्र कोषागार में जमा कर दिया जाएगा।

पुनः विविध रसीद सं. 6290 एवं 6291 में प्रत्येक में एक– एक हजार की राशि काटी गयी थी जिस पर उपरिलेखन कर प्रत्येक को पॉच सौ बनाया गया। लेखापरीक्षा के दौरान उसका कारण स्पष्ट नहीं किया गया।

16. कर संग्रह राशि को विलंब से कोष में जमा

बिहार वित्तीय नियमावली के प्रावधानानुसार प्राप्त राजस्व को प्राप्ति के दिन अथवा अगले दिन कोषागार/बैंक में जमा किया जाना चाहिए।

नगर निगम, बिहारशरीफ के एच रसीद, दैनिक संग्रह पंजी एवं रोकड़पाल रोकड़ बही के जॉच के क्रम में पाया गया कि कई कर संग्राहकों द्वारा गृह कर के रूप में प्राप्त राशि को काफी समय के बाद कार्यालय में जमा किया जाता था। विवरण निम्नवत है–

क्र. सं.	कर संग्राहक का नाम	रसीद सं.	दिनांक	राशि	जमा तिथि	विलंब अवधि
1	मो. आफरीन अंसारी	48301–48322	19.05.12–24.05.12	5542.32	16.09.12	22 से 27 दिन
2	तदैव	48323–48345	27.06.12–17.07.12	9188.64	27.07.12	6 से 26 दिन
3	तदैव	48346–48357	19.07.12–05.08.12	2807.40	12.10.12	67 से 83 दिन
4	तदैव	48358–48380	09.08.12–14.09.12	3440.64	15.10.12	32 से 66 दिन
5	तदैव	48381–48400	14.09.12–30.09.12	4868.56	29..12	29 से 45 दिन
6	श्री संदीप कुमार	48001 से 48025	14.05.12–13.07.12	12219.80	20.07.12	7 से 66 दिन
7	तदैव	48026–48047	20.07.12–14.08.12	4700.36	31.08.12	17 से 41 दिन
8	तदैव	48048–48068	14.08.12–06.09.12	18848.64	07.09.12	1 से 23 दिन
9	श्री अवधेश	47501–47513	11.05.12–04.05.12	7631.08	20.07.12	60 से 70 दिन
10	तदैव	47515–47525	23.05.12–04.06.12	6209.14	13.08.12	69 से 80 दिन
11	तदैव	57426–47538	08.06.12–30.07.12	725.68	31.08.12	31 से 54 दिन
12	तदैव	47534–47551	30.07.12–20.08.12	5608.82	07.09.12	10 से 38 दिन
13	तदैव	47552–47565	22.08.12–10.09.12	7325.28	15.10.12	35 से 53 दिन
14	तदैव	47580–47592	10.10.12–17.10.12	628196.00	09.11.12	22 से 29 दिन
15	तदैव	47566–47579	12.09.12–05.10.12	834664.00	05.11.12	30 से 53 दिन
16	तदैव	47593–47600	18.10.12–21.10.12	7075.92	03.12.12	43 से 46 दिन
17	तदैव	3501–3514	31.10.12–16.11.12	5725.36	25.02.13	90 से 115 दिन
18	तदैव	3515–3528	23.11.12–18.12.12	12773.48	25.02.13	90 से 113 दिन
19	तदैव	3529–3541	18.12.12–08.01.13	17086.44	08.03.13	60 से 80 दिन
20	तदैव	3542–3600 9101–9200	08.01.13–30.03.13	85909.60	30.03.13	0 से 32 दिन
21	श्री नंदकुमार शर्मा	46701–46735	11.05.12–19.05.12	10290.72	13.07.12	56 से 62 दिन
22	तदैव	46736–46758	19.05.12–06.06.12	6091.04	23.07.12	47 से 64 दिन
23	तदैव	46759–46770	07.06.12–27.06.12	12976.44	30.06.12	3 से 23 दिन
24	तदैव	46771–46800	29.06.12–23.07.12	7930.84	03.08.12	10 से 36 दिन
25	तदैव	701–723	06.08.12–25.08.12	8403.10	21.09.12	26 से 45 दिन

26	तदैव	724–736	25.08.12–03.09.12	4685.52	12.10.10	39 से 47 दिन
27	तदैव	737–760	06.09.12–14.09.12	12139.40	05.11.12	51 से 60 दि
28	तदैव	761–800	14.09.12–08.11.12	36666.80	16.11.12	8 से 62 दिन
29	तदैव	4301–4313	17.11.12–27.11.12	5335.76	31.12.12	34 से 44 दिन
30	तदैव	4314–4326	27.11.12–08.12.12	31574.00	11.01.13	34 से 45 दिन
31	तदैव	4327–4339	10.12.12–08.01.13	26663.72	28.01.13	20 से 48 दिन
32	तदैव	4340–4364	08.01.13–14.01.13	8248.70	04.02.13	20 से 26 दिन
33	तदैव	4365–4400	15.01.13–04.02.13	14442.96	11.02.13	7 से 26 दिन
34	तदैव	7601–7700	09.02.13–15.03.13	55910.86	22.04.13	37 से 73 दिन
35	तदैव	10201–10300	18.03.13–30.03.13	47684.40	22.04.13	23 से 35 दिन
36	कुमार	101–127	16.04.12–07.06.12	5844.67	23.07.12	46 से 97 दिन
37	तदैव	1101–1128	26.08.12–03.09.12	5259.16	28.09.12	25 से 32 दिन
38	तदैव	1129–1149	04.09.12–17.09.12	5582.32	29.10.12	42 से 55 दिन
39	तदैव	1150–1176	17.09.12–19.09.12	7491.52	23.11.12	34 से 66 दिन
40	तदैव	1177–1200	26.10.12–27.11.12	5590.24	31.12.12	34 से 65 दिन
41	तदैव	4001–4014	17.11.12–28.11.12	6108.34	28.01.13	60 से 71 दिन
42		4015–4028	30.11.12–15.12.12	5556.20	25.02.13	70 से 85 दिन
43		4029–4042	16.12.12–24.01.13	6909.74	01.03.13	35 से 72 दिन
44		4043–4100	24.01.13–09.03.13	28636.70	30.03.13	21 से 66 दिन
45	श्री अखिलेश रविदास	49601–49614	22.05.12–29.05.12	3631.80	31.08.12	64 से 71 दिन
46	तदैव	49651–49700	28.08.12–20.10.12	18348.22	02.11.12	12 से 64 दिन
47	तदैव	3701–3800	03.11.12–27.02.13	19732.28	02.05.13	65 से 180 दिन
48	तदैव	49815–49838	08.06.12–29.07.12	10111.91	07.09.12	39 से 90 दिन
49	तदैव	49839–49852	01.08.12–03.08.12	11938.32	14.09.12	41 से 43 दिन
50	तदैव	49853–49866	03.08.12–07.11.12	22550.40	17.11.12	40 से 124 दिन
51	तदैव	5001–5100	09.12.12–12.03.13	60987.54	30.03.13	18 से 111 दिन

उपरोक्त विवरणी से स्पष्ट है कि कर संग्रहन के उपरांत कर संग्राहकों द्वारा काफी समय बाद राशि कार्यालय में जमा किया जाता था, जो एक गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला है तथा बिहार वित्तीय नियमावली एवं वित्तीय प्रावधानों का उल्लंघन था। नगर निगम पदाधिकारियों को ध्यान इस ओर आकृष्ट किया जाता है। भविष्य में कर संग्राहकों द्वारा प्राप्त राशि अविलंब कोषागार/बैंक में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे तथा कर संग्रहण पर पर्यवेक्षण करेंगे।

17. अप्रस्तुत एच रसीद

बार– बार लिखित एवं मौखिक अनुरोध के बावजूद नगर निगम द्वारा निम्नलिखित एच रसीद जॉच हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

1211

क.सं.	निर्गत तिथि	रसीद बही की जिल्द सं.	रसीद कमांक	कर संग्राहक का नाम
1	11.05.12	463–464	46201–46300 46301–46400	श्री धर्मेन्द्र कुमार
2	11.05.12	471	47001–47100	श्री शशि कुमार
3	11.05.12	478	47701–47800	अवधेश
4	12.05.12	486	48501–48600	विजय कुमार प्रभाकर
5	01.05.12	4	4801–400	
6	16.05.12	493	49201–49300	थ्वनोद मालाकार
7	18.05.12	494	49301–49400	नवनीत कुमार
8	19.05.12	498	49701–49800	कपिलदेव रविदास
9	21.05.12	500	49901–50000	शिव कुमार
10	22.05.12	3	201–300	शंभु कुमार
11	07.06.12	4	301–400	मो0 शेरशाह
12	07.07.12	7	601–700	शंभु कुमार
13	18.08.12	11	1001–1100	तदैव
14	28.08.12	14	1301–1400	कपिलदेव कुमार
15	28.08.12	15	1401–1500	सुगिम कुमार
16	29.08.12	17	1601–1700	पवनराज
17	07.09.12	20	1901–2000	नवनीत कुमार
18	21.09.12	26	2501–2600	विजय कुमार प्रभाकर
19	24.09.12	30	2901–3000	धर्मेन्द्र कुमार
20	11.10.12	32	3101–3200	शंभु कुमार
21	05.11.12	39	3801–3900	कपिलदेव ठाकुर
22	04.12.12	50	4901–5000	धर्मेन्द्र कुमार
23	12.12.12	54	5301–5400	नवनीत कुमार
24	14.12.12	55	5401–5500	शंभु कुमार
25	17.01.13	63	6201–6300	शशि कुमार
26	19.01.13	67	6601–6700	कपिलदेव कुमार
27	19.01.13	70	6001–6900	श्री विजय कुमार प्रभाकर
28	01.03.13	96	9501–9600	श्री नवनीत कुमार
29	21.01.13	71	7001–7200	धर्मेन्द्र कुमार
30	23.01.13	72	7101–7200	आपरीन अंसारी
31	02.02.13	75	7401–7500	कपिलदेव ठाकुर
32	02.02.13	76	7501–7600	शंभु कुमार
33	11.02.13	79	7801–7900	धर्मेन्द्र ठाकुर
34	25.02.13	83	8201–8300	संदीप कुमार
35	11.03.13	93	9201–9300	श्री विजय कुमार प्रभाकर
36	11.03.13	94	9301–9400	कपिलदेव ठाकुर
37	11.03.13	95	9401–9500	शंभु कुमार
38	19.01.13	69	6801–6900	मो0 शेरशाह
39	13.03.13	97	9601–9700	राजन कुमार

40	15.03.13	100	9901–10000	पवनराज गुप्ता
41	27.03.13	107	10601–10700	कपिलदेव रविदास
42	27.03.13	108	10701–10800	तदैव
43	30.03.13	112	11101–111200	
44	30.03.13	114	11301–11400	शंभु प्रसाद
45	30.03.13	116	11501–11600	अवधेश पासवान
46	30.03.13	117	11601–11700	मुरलीधर यादव
47	30.03.13	118	11701–11800	सोहेल अहमद

उपरोक्त एच रसीद अप्रस्तुत रहने के कारण उपरोक्त रसीद से प्राप्त राशि एवं राशि का कोषागार/बैंक में जमा अंकेक्षण में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। उपरोक्त अप्रस्तुत एच रसीद को अगले अंकेक्षण में जॉच हेतु प्रस्तुत किया जाय।

18. होल्डिंग कर के मांग वसूली पंजी का संधारण नहीं किया जाना तथा बकाया 4.59 करोड़

विदित है कि मकान कर स्थानीय स्वायत निकाय का मुख्य आय स्रोत है, जिसके लिए मांग एवं वसूली पंजी का संधारण किया जाना नितांत आवश्यक है ताकि यह स्पष्ट है कि वसूली मांग के अनुसार है अथवा नहीं, कब से बकाया है तथा कितना बकाया है इत्यादि। पुनः मांग एवं वसूली पंजी के संधारण नहीं होने के कारण होल्डिंग कर लेखा बही की जॉच नहीं की जा सकी तथा किसी भी वित्तीय अनियमितता से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

(i) यद्यपि टैक्स दरोगा द्वारा वर्ष 2012–13 हेतु मकान कर का मांग, वसूली एवं बकाया का सार प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार कुल मांग ₹574.31 लाख (बकाया ₹485.59 88.) के विरूद्ध मात्र ₹115.01 लाख ही वसूली हुआ तथा विभिन्न बकायादारों के पास ₹459.30 लाख गृह कर लंबित रह गया। स्पष्ट है कि 2012–13 में वसूली कुल मांग का मात्र 20% ही थी जो निराशाजनक थी। फलस्वरूप 31.03.2013 को गृह कर के रूप में ₹4.59 करोड़ बकाया था।

(ii) वसूली शाखा/टैक्स दरोगा/वरीय पदाधिकारी/नगर आयुक्त द्वारा मांग के अनुरूप वसूली हेतु क्या प्रयास किया गया तथा क्या पद्धति अपनायी गयी यह अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया।

(iii) पुनः टैक्स दरोगा द्वारा मदवार (मकान कर, जल कर मल कर, शिक्षा उपकर, स्वास्थ्य कर, अन्य आदि) मांग तथा वसूली विवरणी उपलब्ध नहीं किया गया कि प्रस्तुत ऑकड़े की सत्यता की जॉच किस आधार पर होगी तथा प्रस्तुत ऑकड़ा तैयार करने का आधार क्या था।

(iv) बड़े बकायेदारों की सूची वर्षवार मॉगे जाने के बावजूद अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। इस संबंध में 2012–13 में बकायदारों को कितना नोटिस तिाि नियमानुसार कार्रवाई की स्थिति भी अंकेक्षण में स्पष्ट नहीं किया गया न ही कोई कागजात इस संबंध में प्रस्तुत किया गया।

(v) नियमानुसार शिक्षा उपकर तथा स्वास्थ्य उपकर मद में वसूल की गयी राशि जो संबंधित सरकारी खाते में जमा की जानी है का ब्योरा भी अंकेक्षण में मॉगे जाने के बावजूद उपलब्ध नहीं कराया गया।

उपरोक्त सभी बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण अपेक्षित है। गृहकर के रूप में बकाया राशि ₹4.59 करोड़ (45929043.00) की वसूली हेतु अविलंब कार्रवाई की जाय।

19. सरकारी भवन पर कर बकाया (₹3.73 करोड़)

टैक्स दरोगा द्वारा उपलब्ध कराया गए आकड़ों के अनुसार 36 भवनों पर 2012–13 के अन्त तक कुल ₹3.73 करोड़ (37292966.00) का बकाया था। उक्त बकायदारों में से निम्न सरकारी भवनों पर 10 लाख से अधिक बकाया था।

क्र.सं.	सरकारी भवन का नाम	बकाया राशि	अवधि
1	विद्युत विभाग, बड़ी पहाड़ी	182.76	1981–82 से 12–13
2	विद्युत विभाग, मुशादपुर	39.46	1965–66 से 12–13
3	जिला परिषद	15.40	1973–74 से 12–13
4	प्रखंड विकास पदा.	24.76	1977–78 से 12–13
5	टेलीफोन ऑफिस	15.52	1986–87 से 12–13
6	राज्य ट्रांसपोर्ट भवन	10.71	1965–66 से 12–13
7	जिला शिक्षा अधीक्षक	11.43	1994–95 से 12–13

उपरोक्त तालिका से यह प्रतीत होता है कि उपरोक्त सरकारी भवनों से वर्षों से (1965–66 से 1994–95 के मध्य) करों की वसूली नहीं की जा रही थी। विद्युत विभाग बड़ी पहाड़ी पर 1.83 करोड़ बकाया है(कुल बकाया का 49%)

नगर निगम द्वारा सरकारी भवनों पर कर वसूली के लिए किए गए प्रयासों से लेखापरीक्षा को अवगत नहीं कराया गया। अतः नगर निगम को सलाह दी जाती है कि बकाया वसूली हेतु ठोस कार्रवाई की जाय ताकि राजस्व क्षति रोका जा सके।

20. बकाया दुकान किराया (₹20.22 लाख)

नगर निगम, बिहारशरीफ दुकान कर निर्धारण पंचिकाओं के नमूना जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 1988–89 के बाद कर दरों का पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था। 25 वर्षों के उपरांत भी नगर निगम द्वारा दुकानों से 1988–89 में निर्धारित दर से ही किराया लिया जा रहा था। नगर निगम द्वारा दुकानदारों के साथ किसी प्रकार का एकरारनामा दुकान आवंटन के समय नहीं किया गया कि भविष्य में दुकान दरों में वृद्धि किस प्रकार/आधार पर होगा।

इस प्रकार दुकान किराया दरों में वृद्धि नहीं होने से नगर निगम को लाखों की हानि हो रही थी।